कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) 31.10.1998 की स्थिति के अनुसार देश भर में स्थायी खाता सं० के आवंटन के लिए कुल 1,51,07,026 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनकर्ताओं को स्थायी खाता संख्या आवंटित किये जाने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

(ग) दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को नई श्रृंखला के अंतर्गत 31.10.1998 तक स्थायी खाता संख्या आवंटित की जानी थी और अन्य सभी आवेदनकर्ताओं को 31.03.1999 तक आन लाइन सिस्टम के माध्यम से स्थायी खाता संख्या आवंटित की जानी है। शेष देश में 70% आवेदकों को नई श्रृंखला के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या आवंटित की जानी है।

(घ) नियम 114 ख के परन्तुक के अंतर्गत उन व्यक्तियों, जिन्होंने स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन किया था परन्तु जिन्हें स्थायी खाता संख्या अभी तक आवंटित नहीं की गई है, की असुविधा को दूर करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को तब तक सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या दर्शाये जाने की अनुमति दी गई है जब तक उसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की जाती है। इसके अलावा, नियम 114 ख के परन्तुक के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है अथवा जिसके पास सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या नहीं है और जो किसी बैंक पर आहरित रेखांकित चैक की अपेक्षा नकद अथवा अन्य तरीके से भुगतान करता है अथवा किसी विशिष्ट लेन-देनों के बारे में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता है जहां सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या की स्थायी खाता संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया गया है, वह फार्म सं० 60 में ऐसे लेन-देन का विवरण देते हुए सामान्य घोषणा कर सकता है।

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुरक्षा

*27 **श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो० रामगोपाल यादव:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 सितम्बर, 1998 के "दैनिक जागरण" में "हवाई अड्डा माफिया-1" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विदेश आने-जाने वाले लोगों को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर तैनात दिल्ली पुलिस व कस्टम विभाग के कर्मियों के गैंग के आतंक से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, हां।

(ख) की गई कार्रवाई का नीचे विस्तार से उल्लेख किया गया है:—

1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के आव्रजन विभाग के प्रस्थान हाल के दायें खंड में 10/11 सितम्बर, 1998 की रात्रि को उपनिरीक्षक तारिख अली खान नं० डी/3264 जो क्लीयरिंग अधिकारी के बतौर कार्यरत था, उसने कथित रूप से श्रीमती इरा गुप्ता, जो उड़ान संख्या एम०के०-745 से अपने पति के साथ मारिशस जा रही थी, के पासपोर्ट के वीसा पृष्ठ को फाड़ डाला। उपनिरीक्षक ने उनके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी दी और दंपत्ति से 500 अमरीकी डालर ऐंठ लिए और उनको विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी। श्रीमती ईरा गुप्ता की शिकायत पर उपनिरीक्षक के विरुद्ध आई०जी०आई० विमानपत्तन थाने में धारा 384 आई०पी०सी० तथा 12 पी०पी० अधिनियम के अंतर्गत एफ०आई० सं० 433/98 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे 13.9.98 को निलंबित कर दिया था इस मामले की जांच चल रही है। उनके विरुद्ध एक नियमित विभागीय जांच की जा रही है। उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है।

2. दिनांक 12.1.98 को, उपनिरीक्षक विवेक महेश्वरी नं० डी/3133 जो आगमन हाल के दायें खंड में क्लीयरिंग अधिकारी के बतौर कार्यरत था, ने कथित रूप से दो यात्रियों यथा बलदेव सिंह तथा करनैल सिंह जो मास्को से यहां पहुंचे से 100 अमरीकी डालर ऐंठ लिए।

यात्रियों की शिकायत पर उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध आई०जी०आई० विमानपत्तन के थाने में आई०पी०सी० की धारा 384 के अधीन एफ०आई०आर० संख्या 30/98 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। इस उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया गया था। इस समय वह जमानत पर है। यह मामला न्यायालय में अभियोजन के लिए लंबित है।

3. अबू सहैल की शिकायत पर, आल ई०पी०सी० की धारा 384/34 तथा अधिनियम पी०ओ०सी० की धारा 7/8/13 के अधीन एफ०आई०आर० संख्या 419/98 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। सतर्कता विभाग, आई०जी०आई० विमानपत्तन दिल्ली पुलिस के हैड कांस्टेबल श्यामलाल संख्या 23/ए, तथा हैड कांस्टेबल रामवीर सिंह संख्या 467/ए के साथ दो कस्टम अधिकारियों यथा के०एल० बत्रा तथा आर०के० देव को भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। मामले की जांच चल रही है। दोनों कस्टम अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

(ग) दिल्ली पुलिस/कस्टम द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को नीचे दिया गया है:—

1. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर आठ शिकायत पेटियां संस्थापित की गई हैं ताकि वे उनमें उत्पीड़न, आदि की स्थिति में कथित अधिकारी का नाम उसकी तैनाती के स्थान का उल्लेख करते हुए उसके विरुद्ध शिकायत कर सकें। यह पेटियां डी०सी०पी०/ए०सी०पी० द्वारा खोली जाएंगी और दोषी पाए जाने पर उन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है।

2. यात्री सरकारी कर्मचारियों द्वारा परेशानी अथवा उत्पीड़न की स्थिति में एनाउंसमेंट करा सकते हैं।

3. डी०सी०पी० तथा ए०सी०पी० द्वारा रात्रि के दौरान आई०जी०आई० विमानपत्तन पर आकस्मिक दौरा किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। सर्तकता विभाग भी आई०जी०आई० विमानपत्तन पर स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

4. जनता की शिकायतों की जांच करने की दृष्टि से विमानपत्तन पर सहायक आयुक्त कस्टम स्तर के एक अधिकारी लगातार 24 घंटे की तैनाती की गई है। उत्पीड़न का पता चलने/रिपोर्ट करने की स्थिति में विभागीय कार्यवाई की जाती है।

Violation of norms by NTPC

*29. SHRI JIBON ROY:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Violation of Norms — NTPC played for Snapping Power to west Bengal" published in "Hindustan Times" dated 30th October 1998;

(b) if so, whether EREB had pointed out that NTPC's violation of procedures had let to serious grid disturbances; and

(c) if so, the action taken by Government against these violations and against those responsible for the same?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) National thermal Power Corporation (NTPC), before regulating power supply, had given sufficient advance notice as per the norms to Eastern Regional Electricity Board, Eastern Regional Load Despatch Centre (ERLDC) and West Bengal State Electricity Board (WBSEB) regarding withdrawing of NTPC power to West Bengal State Electricity Board (WBSEB) from Farakka Super Thermal Power Project so that ERLDC could take advance action to ensure grid security. As a result, there was no grid disturbance on account of withdrawal of NTPC power supply to West Bengal State Electricity board.

(c) Since there was no violation of norms action against any individual does not arise.